भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-112
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगार युवाओं की समस्याएं

112. कुमारी राम्या हरिदासः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्रीमती पूनम महाजनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण देश में बेरोजगार युवाओं की समस्याओं की जानकारी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने लोग बेरोजगार हुए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों विशेषकर केरल, महाराष्ट्र को कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने कोविड-19 संकट के कारण देश में रोजगार छूटने का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग) कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों का सामना करने के लिए पूर्णतया तैयार है सरकार अनेक कदम उठा रही है। आत्मनिर्भर भारत युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यावसायिक जनसांख्यिकी एवं मांग पर ध्यान केंद्रीत करता है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रम को घर के निकट कार्य में सहायता के लिए कौशल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत से 6 राज्यो के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने तथा अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्या का सघन एवं संकेन्द्रित कार्यान्वयन शामिल हैं।

सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

(घ) एवं (ङ): जी नहीं।

*****